

कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर (छ0ग0)

—:: आदेश ::—

क्रमांक-727/दो-11-3/2024

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2026

इस स्थापना में शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी) के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु जारी विज्ञापन क्रमांक-4185/दो-11-3/2024, बिलासपुर, दिनांक 22-07-2026 के संदर्भ में चयन समिति द्वारा प्रेषित चयन सूची अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को “शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)” के पद पर छत्तीसगढ़ वेतन पुनरीक्षण नियम, 2017 के वेतन मैट्रिक्स लेवल-7 (28700-91300) में अस्थायी रूप से 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि में निम्नांकित निर्धारित शर्तों के अधीन उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से नियुक्त किया जाता है :-

क्र.	चयनित अभ्यर्थी का नाम, पिता/पति का नाम	चयनित अभ्यर्थी का पता	नियुक्त पदनाम	वर्ग जिसके विरुद्ध नियुक्ति प्रदान की गई
1	2	3	4	5
1	श्री शुभम देवांगन, पिता श्री प्रेमसागर देवांगन	हाउस नंबर-2, राजेन्द्र वार्ड, पी. डब्ल्यू.डी. मार्ग नंबर-2, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ0ग0) 495334	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
2	श्री लिकेश कुमार वर्मा, पिता श्री रामकुमार वर्मा	ग्राम-गोढ़ी, बलकरण किराना स्टोर के पास, पोस्ट-मोहदी, वि.ख.-धरसीवां, रायपुर (छ0ग0) 493111	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
3	कु0 श्वेता राजपूत, पिता श्री द्वारिका सिंह राजपूत	आनंद नगर, बनरसी रोड, माना कैम्प, रायपुर (छ0ग0) 492015	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
4	श्री राजेन्द्र कुमार यादव, पिता श्री भुखन लाल यादव	मु0 अचरितपाली, पोस्ट-अमलीडीह, तहसील- मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ0ग0) 495691	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
5	श्री हिरेन्द्र कुमार बर्मन, पिता श्री मालिक राम बर्मन	ग्राम-नवागांव ठेल्का, पोस्ट- भालुखोंदरा, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली(छ0ग0) 495334	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
6	कु0 खुशी कैवर्त, पिता श्री राजीव कुमार कैवर्त	मकान नंबर-7, वार्ड नंबर-14, टी.टी. सी. कॉलोनी, माना कैम्प, रायपुर (छ0ग0)	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनारक्षित
7	श्री हेमंत कुमार साहू, पिता श्री द्वारिका प्रसाद	S/o श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम-धरमपुरा, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट-जोरा, रायपुर (छ0ग0) 492012	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अन्य पिछड़ा वर्ग
8	श्री तरुण बघेल, पिता श्री कामता बघेल	ग्राम-ठेलकाबांधा, पोस्ट- खोला, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) 493661	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनुसूचित जाति

9	श्री गंगेश्वर सिंह, पिता श्री रामसाय सिंह	वार्ड कमांक-41, भदरापारा, पुराना गुरुघासीदास चौक, लोहार मोहल्ला, बाल्को, कोरबा, जिला-कोरबा (छ0ग0) 495684	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनुसूचित जाति
10	कु0 कोमल मंडावी, पिता श्री रूपसिंह मंडावी	बी.आर.पी. कॉलोनी, स्टेशन मरोदा, रिसाली, जिला-दुर्ग (छ0ग0) 490006	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनुसूचित जनजाति
11	श्री कौशल कुमार, पिता श्री देवसिंग	ग्राम-खैरवाही, पोस्ट-लाटाबोड़, तहसील व जिला-बालोद(छ0ग0) 491226	शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी)	अनुसूचित जनजाति

नियुक्ति की शर्तें :-

- परिवीक्षा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण न होने पर परिवीक्षा अवधि आगे 01 वर्ष तक और बढ़ायी जा सकेगी और जब तक स्थायी न कर दिया जाये तब तक उन्हें परिवीक्षा पर माना जावेगा।
- परिवीक्षा काल में उनकी सेवाएं बिना कोई कारण बताये समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय चिकित्सा बोर्ड से शासकीय सेवा के योग्य होने संबंधी स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसका व्यय उन्हें स्वयं वहन करना होगा। सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने की दशा में नियुक्ति आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को अनुप्रमाणन फार्म भरना होगा, पुलिस द्वारा चरित्र सत्यापन कराये जाने तथा सत्यापन में सेवा के लिए अयोग्य पाये जाने पर सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेगी।
- चयनित अभ्यर्थी सेवाकाल में बिना अनुमति के किसी अन्य विभाग को किसी पद के लिये सीधे आवेदन नहीं करेंगे, और न ही वे बिना पूर्व अनुमति के किसी विद्यालय/महाविद्यालय में अध्ययन करेंगे, यदि वे अध्ययन करते हुए अथवा परीक्षा में सम्मिलित होते हुए पाये गये, तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।
- अस्थायी सेवा काल में यदि स्वयं सेवा से मुक्त होना चाहेंगे तो 01 माह पूर्व कार्यालय को सूचना देनी होगी या यदि तुरंत कार्यमुक्त होना चाहे तो एक माह की सूचना के बदले एक माह का वेतन जमा करना होगा। इसी प्रकार यदि नियोक्ता द्वारा उन्हें सेवा से पृथक किया जाना हो, तो उन्हें नियोक्ता द्वारा एक माह की पूर्व सूचना दी जावेगी या ऐसी सूचना के बदले एक माह का वेतन देकर तत्काल सेवा से पृथक कर दिया जावेगा।
- चयनित अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करते समय समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की मूल प्रति मिलान हेतु प्रस्तुत करना होगा। साथ ही समस्त शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित दो प्रतियां अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। यह पाये जाने पर कि उन्होंने अपने आवेदन में और उसके साथ प्रस्तुत प्रमाण पत्रों में मिथ्या तथ्यों का समावेश किया गया है या कोई तथ्य छिपाया गया है अथवा वह विज्ञापन में उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता के अनुसार अर्हता नहीं रखते हैं, तो उनकी नियुक्ति निरस्त कर दी जावेगी।
- यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व उनके समस्त दस्तावेजों के जांच के अध्यक्षीन है तथा यदि दस्तावेज पात्रतानुसार नहीं पाये जाने अथवा उचित/सही नहीं पाये जाने पर उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से वंचित किया जा सकेगा तथा नियुक्ति निरस्त की जा सकेगी।

9. उपरोक्त चयनित अभ्यर्थियों की वरीयता शीघ्रलेखक ग्रेड-तीन (हिन्दी) के सबसे अंतिम स्थान पर तथा उनकी पारस्परिक वरीयता उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से नहीं अपितु प्रावीण्य सूची में उपरोक्तानुसार उनके क्रम से शासित होगी।
10. चयनित अभ्यर्थियों को कार्यभार ग्रहण करते समय 02 नग सेवा पुस्तिका प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. चयनित अभ्यर्थी को दिनांक 18-11-2026 तक अनिवार्य रूप से अपने पद का कार्यभार ग्रहण करना होगा। यदि उनके द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर अपना कार्यभार ग्रहण नहीं किया जाता है और नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कार्यभार ग्रहण करने हेतु अतिरिक्त समय नहीं दिया जाता, तो उन्हें कार्यभार ग्रहण करने से अपात्र किया जावेगा।
12. नियुक्त अभ्यर्थी की पदस्थापना सिविल जिला, बिलासपुर के अंतर्गत किसी भी बाह्य न्यायालय में अथवा अनुभाग में की जा सकती है।
13. यह नियुक्ति माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में विचाराधीन S.L.P.(C) No. 19968/2022 द्वारा पारित अंतिम आदेश के अधधीन होगी।
14. यह नियुक्ति छत्तीसगढ़ जिला न्यायपालिका स्थापना (भर्ती एवं सेवा शर्तें) कर्मचारी नियम, 2023 के प्रावधानों के अंतर्गत की जा रही है। अतः इस आदेश में वर्णित शर्तों के अतिरिक्त उनकी सेवाएं उक्त नियम के प्रावधानों से शासित होगी।

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
बिलासपुर छ0ग0

पृष्ठांकन क्र०- 1830 /दो-11-3/2024

बिलासपुर, दिनांक 24 अक्टूबर, 2026

प्रतिलिपि :-

1. माननीय रजिस्ट्रार जनरल, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर की ओर रजिस्ट्री ज्ञापन क्रमांक-1931/तीन-18-29/2008, बिलासपुर, दिनांक 12-03-2013 के अनुक्रम में सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर
3. लेखापाल, कार्यालय अनुभाग, कार्यालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बिलासपुर

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

4. सहायक प्रोग्रामर, बिलासपुर की ओर आदेश की प्रतिलिपि जिला न्यायालय, बिलासपुर की वेबसाइट में अपलोड किये जाने हेतु प्रेषित।
5. श्री शुभम देवांगन, पिता श्री प्रेमसागर देवांगन, पता- हाउस नंबर-2, राजेन्द्र वार्ड, पी.डब्ल्यू.डी. मार्ग नंबर-2, मुंगेली, जिला-मुंगेली (छ0ग0) 495334
6. श्री लिकेश कुमार वर्मा, पिता श्री रामकुमार वर्मा, पता- ग्राम-गोढ़ी, बलकरण किराना स्टोर के पास, पोस्ट-मोहदी, वि.ख.-धरसीवां, रायपुर (छ0ग0) 493111
7. कु0 श्वेता राजपूत, पिता श्री द्वारिका सिंह राजपूत, पता- आनंद नगर, बनरसी रोड, माना कैम्प, रायपुर (छ0ग0) 492015

8. श्री राजेन्द्र कुमार यादव, पिता श्री भुखन लाल यादव, पता- मु0 अचरितपाली, पोस्ट-अमलीडीह, तहसील- मालखरौदा, जिला-सक्ती (छ0ग0) 495691
9. श्री हिरेन्द्र कुमार बर्मन, पिता श्री मालिक राम बर्मन, पता-ग्राम-नवागांव टेल्का, पोस्ट-भालुखोंदरा, तहसील-लोरमी, जिला-मुंगेली(छ0ग0) 495334
10. कु0 खुशी कैवर्त, पिता श्री राजीव कुमार कैवर्त, पता-मकान नंबर-7, वार्ड नंबर-14, टी.टी.सी. कॉलोनी, माना कैम्प, रायपुर (छ0ग0)
11. श्री हेमंत कुमार साहू, पिता श्री द्वारिका प्रसाद, पता-S/o श्री द्वारिका प्रसाद, ग्राम-धरमपुरा, श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर के पास, पोस्ट-जोरा, रायपुर (छ0ग0) 492012
12. श्री तरुण बघेल, पिता श्री कामता बघेल, पता-ग्राम-टेलकाबांधा, पोस्ट- खोला, तह.-अभनपुर, जिला-रायपुर (छ0ग0) 493661
13. श्री गंगेश्वर सिंह, पिता श्री रामसाय सिंह, पता-वार्ड क्रमांक-41, भदरापारा, पुराना गुरुघासीदास चौक, लोहार मोहल्ला, बाल्को, कोरबा, जिला-कोरबा (छ0ग0) 495684
14. कु0 कोमल मंडावी, पिता श्री रूपसिंह मंडावी, पता- बी.आर.पी. कॉलोनी, स्टेशन मरोदा, रिसाली, जिला-दुर्ग (छ0ग0) 490006
15. श्री कौशल कुमार, पिता श्री देवसिंग, पता-ग्राम-खैरवाही, पोस्ट-लाटाबोड़, तहसील व जिला-बालोद(छ0ग0) 491226

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।


प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
बिलासपुर (छ0ग0)